

फिलिस्तीन समस्या पर भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका

- डॉ० एन०सी० मेहरोत्रा

- विपिन कुमार मिश्रा

विश्व शांति की दृष्टि से फिलिस्तीन दुनिया के अस्थिर देशों में प्रमुख रहा है। भारत तीसरी दुनिया के देशों में बड़ा देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रमुख है। अतएव भारत की विदेश नीति अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस शोध आलेख में भारत फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत की नीति एवं भूमिका को समीक्षित करने का प्रयत्न किया गया है।

विषय संकेत:- फिलिस्तीन, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, इजरायल, विदेश नीति

अपनी भौगोलिक व सामरिक स्थिति के कारण फिलिस्तीन सदैव आक्रमणों का शिकार रहा तथा अधिकांशतः शक्तिशाली शासकों के नियंत्रण में रहा है। इसी कारण पश्चिमी एशिया के इस भाग को इतिहासकारों ने “कुरुक्षेत्र” की संज्ञा दी है। फिलिस्तीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 135 में हुआ। इससे पूर्व यह यहूदिया के नाम से जाना जाता था। सन् 632 में फिलिस्तीन रोमन शासकों के अधीन आ गया। उसी काल में यहूदी नामक जाति यहाँ आकर बसने लगी। सन् 1897 में सियोनिज्म (यहूदी राज्य) की नींव पड़ी। सियोनिवाद आन्दोलन का उद्देश्य फिलिस्तीन में राष्ट्रवादी यहूदी राज्य अर्थात् यहूदी होमलैण्ड की स्थापना थी। यहूदीवाद के प्रमुख नेता थियोडोर हर्जन थे जिन्होंने यहूदियों में राष्ट्रीय चेतना हेतु “यहूदी राज्य” नामक पुस्तक लिखी।

सन् 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के उपरान्त यहूदी आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया। सन् 1919 में युद्धोपरांत राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तथा मेन्डेंट प्रणाली के अन्तर्गत फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का संरक्षित शासन स्थापित हो गया। सन् 1948 में इजरायल नामक राष्ट्र के उदय तक का इतिहास, अरबों तथा यहूदियों के मध्य संघर्ष का इतिहास रहा है। इस बीच सैमुएल कमीशन, चर्चिल का श्वेत पत्र, सिम्पसन कमीशन, पील कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, 1939 का श्वेत पत्र, बाल्टमोर योजना, लंदन सम्मेलन आदि फिलिस्तीन समस्या का समाधान खोजने में असफल रहें। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन स्वीकार कर समस्या को और गम्भीर बना दिया।

भारत ने सदैव यहूदियों की अपेक्षा फिलिस्तीन समस्या पर अरबों का साथ दिया। 25 सितम्बर, 1937 में कलकत्ता में फिलिस्तीन समस्या पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें फिलिस्तीन के किसी भी प्रकार के विभाजन का विरोध किया गया। इससे पूर्व 11 जुलाई, 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन समस्या को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सोची समझी साजिश बताया।¹ 26 नवम्बर, 1938 को गाँधी जी ने हरिजन में एक लेख यहूदी लोग² शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया। गाँधी जी के अनुसार, “फिलिस्तीन अरबों का है, ठीक उसी तरह जिस तरह, इंग्लैंड अंग्रेजों का तथा फ्रांस फ्रांसीसियों का है”।

अरब देशों के भारत से विमुख होने का भय, आर्थिक दृष्टिकोण व घरेलू राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारत के सभी राजनीतिक दल अरब समर्थक रहे हैं, परन्तु परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 29 जनवरी, 1992 को इजरायल के साथ पूर्ण राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की परन्तु फिलिस्तीन जनता आज भी स्थाई शान्ति हेतु प्रयासरत है।

विभाजन का विरोध-

फिलिस्तीन समस्या का सार्थक समाधान खोजने में असमर्थ तथा विषम स्थिति उत्पन्न होने के कारण ब्रिटेन ने फरवरी 1947 को इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति ने अरब तथा यहूदी संघ के प्रतिनिधियों को सुनने के उपरान्त 15 मई, 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की

फिलिस्तीन समस्या पर भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका

डॉ० एन०सी० मेहरोत्रा
सेवानिवृत्त रीडर, राजनीति शास्त्र
विभाग, एस०एस०पी०जी०
कॉलेज, शाहजहांपुर

विपिन कुमार मिश्रा

शोध छात्र राजनीति शास्त्र,
एम.जे.पी. रुहेलखण्ड
विश्वविद्यालय, बरेली

बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गये। प्रथम प्रस्ताव द्वारा 11 सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई जिसको विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई। दूसरे प्रस्ताव द्वारा फिलिस्तीनी, यहूदियों एवं अरबों तथा अरब राष्ट्रों से शान्ति बनाए रखने की अपील की गई³

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रही। अतः समिति के सदस्यों ने फिलिस्तीनी समस्या के समाधान हेतु महासभा को दो भिन्न योजनाएँ प्रस्तुत कीं। एक बहुमत की तथा दूसरी अल्पमत की। बहुमत की योजना में फिलिस्तीन को दो राज्यों (एक अरब तथा दूसरा यहूदी राज्य) में बांटने का प्रस्ताव था। भारत, ईरान तथा यूगोस्लाविया न फिलिस्तीनी संघ राज्य बनाने का परामर्श दिया। प्रस्ताव निम्न था:

- (i) तीन वर्ष के लिए स्वतन्त्र फिलिस्तीन संघात्मक राज्य की स्थापना की जाए
- (ii) संक्रमण काल में स्वतन्त्र फिलिस्तीन संघात्मक राज्य पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का नियन्त्रण रहे।
- (iii) स्वतन्त्र फिलिस्तीन संघ में अरब तथा यहूदी राज्य शामिल होंगे।
- (iv) अनुमानित जनसंख्या के आधार पर दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित होगी।
- (v) एरूशलम संघात्मक राज्य की राजधानी होगी⁴

20 नवम्बर, 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने प्रस्ताव संख्या 181 द्वारा बहुमत की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 1 अगस्त, 1948 के पूर्व ब्रिटिश शासन समाप्त करने का निर्णय लिया। महासभा के मतदान में विभाजन के पक्ष में 33 वोट तथा विपक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि 11 सदस्य अनुपस्थित रहे⁵। विभाजन के प्रस्ताव का एशिया के मुस्लिम राज्यों तथा भारत ने विरोध किया। भारत का तर्क था कि प्राचीन ऐतिहासिक सम्बन्ध के आधार पर पृथक यहूदी राज्य की स्थापना न्यायसंगत नहीं हो सकती⁶ परन्तु 14 मई, 1948 को इजरायल नामक राज्य विश्व मानचित्र पर आया।

भारत द्वारा इजरायल की संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता का विरोध-

इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के आवेदन का भारत ने विरोध किया। भारत के प्रतिनिधि का तर्क था कि इजरायल शान्तिप्रिय देश नहीं है। वह शक्ति द्वारा अस्तित्व में आया है, वार्ता द्वारा नहीं⁷ परन्तु अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थन से इजरायल 11 मई, 1949 का प्रस्ताव संख्या 273 (iii) द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया।

फिलिस्तीन शरणार्थियों के प्रश्न पर भारत द्वारा समर्थन-

सन् 1948 के अरबों एवं यहूदियों के संघर्ष से अत्यधिक कष्टप्रद समस्या उन फिलिस्तीन अरब शरणार्थियों की थी जिन्होंने फिलिस्तीन छोड़कर समीपवर्ती देशों में शरण ली। इनकी संख्या लगभग 7,50,000 थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन् 1949 में शरणार्थियों हेतु एक संस्था यू०एन०आर०डब्ल्यू०ए० गठित की⁸। इससे पूर्व 11 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 194(3) द्वारा शरणार्थियों को जा अपने घरों को वापस जाना चाहें और अपने पड़ोसियों से शान्ति से रहने की इच्छा करें को ऐसा करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया⁹।

सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 242 व 338-

सन् 1967 के 6 दिन युद्ध के उपरान्त सुरक्षा परिषद् तथा महासभा में अनेक बहसों के उपरान्त 22 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव संख्या 242 पारित किया। यह प्रस्ताव भविष्य में इजरायल-फिलिस्तीन शान्ति स्थापित करने की वार्ता का आधार बना। प्रस्ताव में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों ने चार्टर के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के पालन का वचन दिया है। भारत के समाचार पत्रों ने प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार प्रकट किए।

संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन की राजनैतिक स्थिति में सुधार-

अक्टूबर 1973 के युद्ध ने फिलिस्तीन अरबों को और भी बुरी स्थिति में पहुँचा दिया। एक बार फिर लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और शरणार्थी बनना पड़ा। परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों में उग्रवादी भावना पनपने लगी। उधर इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की लगातार अवहेलना कर रहा था। 15

दिसम्बर, 1972 को महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 3005 द्वारा इजरायल से मांग की वह अधिकृत क्षेत्रों में मानवीय अधिकारों की अवहेलना से सम्बन्धित अपनी सम्पूर्ण नीतियों का खण्डन करे।¹⁰ सन् 1974 में यूनेस्को (UNESCO) ने इजरायल को सदस्यता से हटा दिया।

यहूदीवाद नस्लवाद प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन तथा नीति में परिवर्तन-

10 नवम्बर, 1975 को 25 अरब राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में “जियोनिज्म को रेसिज्म” माना जाए सम्बन्धी प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में जियोनिवाद की तुलना नस्लवाद तथा जातीय भेदभाव से की गई। इस प्रस्ताव संख्या 3379 के पक्ष में 72 वोट विपक्ष में 35 वोट पड़े। 32 राष्ट्र अनुपस्थित रहे। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया।¹¹ परन्तु 16 दिसम्बर, 1991 को भारत ने महासभा के प्रस्ताव संख्या 46/86 द्वारा इजरायल के पक्ष में मत दिया जिसके द्वारा 1975 ई० के प्रस्ताव संख्या 3379 को समाप्त कर दिया गया था।¹²

संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन की कूटनीति विजय-

जुलाई 1998 में फिलिस्तीन को कूटनीतिक विजय मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने प्रस्ताव द्वारा फिलिस्तीन पर्यवेक्षक की स्थिति में सुधार किया। अब उसे अन्य राष्ट्रों के समान मत देने का अधिकार मिल गया। इजरायल, अमेरिका व दो अन्य राष्ट्रों ने इसका विरोध किया जबकि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।¹³ फिलिस्तीन समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान हेतु कई समझौते हुए जैसे ओस्लो समझौता (1993), वार्ड रिबर समझौता (23 अक्टूबर, 1998), कैम्प डेविड शान्तिवार्ता (जुलाई 2000), शर्म-अल-शेख वार्ता (अप्रैल, 2001), स्थायी समाधान हेतु कार्य-आधारित रोडमैप (अप्रैल, 2002)। भारत सदैव फिलिस्तीन समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है।

यासर अराफात का निष्कासन व संयुक्त राष्ट्र संघ-

सितम्बर 2003 ई० में इजरायल में बम विस्फोट हुआ। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री एरियल शेरोन अपनी भारत यात्रा को बीच में रोककर इजरायल गये। इजरायली मंत्रिमण्डल के अपनी आपातकालीन बैठक बुलाकर फिलिस्तीन नेता यासर अराफात को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 40 से अधिक देशों ने अराफात के निष्कासन के इजरायली निर्णय की कड़ी आलोचना की। सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा। 16 सितम्बर, 2003 को प्रस्ताव का 15 में से 11 सदस्यों ने समर्थन दिया। परन्तु अमेरिका द्वारा वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित न हो सका। अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात सत्र बुलाने की मांग की। आपात सत्र में भारत के प्रतिनिधि विजय नाबियार ने इजरायल सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इससे पश्चिमी एशिया की स्थिति और बिगड़ जायेगी। नाबियार के अनुसार : “अराफात का निष्कासन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। यह फिलिस्तीनी जनता के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अपमानित करने जैसा है।”¹⁴ महासभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर इजरायल से फिलिस्तीन नेता यासर अराफात को हटाने की धमकियाँ न देने व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। 131 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में तथा 4 ने विरोध में मतदान किया। 15 सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित रहे।¹⁵

फिलिस्तीन राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता का प्रश्न तथा भारत का समर्थन-

15 नवम्बर, 1988 को अल्जीरिया में अपनी निर्वासित स्थिति में एक विशेष सत्र में फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद ने फिलिस्तीन राज्य की घोषणा कर दी। घोषणा का न्यायिक औचित्य संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 29 नवम्बर, 1947 का पारित प्रस्ताव संख्या 181 (II) था जिसके द्वारा ब्रिटिश मैडेट समाप्त कर दो राज्यों का गठन था। घोषणा के 15 दिनों के अन्दर भारत सहित 55 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी।¹⁶ सन् 1988 के अन्त तक मान्यता देने वाले देशों की संख्या 80 हो गई।

ज्ञातव्य हो कि 22 नवम्बर, 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 3226 द्वारा फिलिस्तीन में निवास करने वाली जनता को आत्म-निर्णय, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता का अधिकार स्वीकार कर लिया था। महासभा ने पी०एल०ओ० को फिलिस्तीनी जनता का अधिकृत वैध प्रतिनिधि स्वीकार

किया तथा उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। पी०एल०ओ० के स्थान पर फिलिस्तीन पदनाम को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1988 में स्वीकार किया, परन्तु संयुक्त राष्ट्र में उसे राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी। अमेरिका के विरोध के कारण फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश न मिल सका, परन्तु अरब लीग तथा इस्लामिक सम्मेलन संगठन (Organization of the Islamic Conference) ने फिलिस्तीन राज्य की मान्यता तथा उसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किए।¹⁷ फरवरी, 1989 में पी०एल०ओ० के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रार्थना पत्र दिया कि फिलिस्तीन राज्य को 94 देश मान्यता दे चुके हैं, अतः उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बद्ध इकाईयों में प्रवेश दिया जाए। परन्तु अमेरिका द्वारा ऐसी इकाईयों की वित्तीय सहायता बन्द करने की धमकी से प्रस्ताव पारित न हो सका।¹⁸ इस प्रकार फिलिस्तीन राज्य की मान्यता के तमाम प्रयास असफल होते रहे। फिलिस्तीन राज्य को कितने राष्ट्रों ने मान्यता दी, यह संख्या भी विवादित रही। जुलाई 2011 में फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि रियाद मानसोर ने 122 राष्ट्रों द्वारा मान्यता की बात कही।

२०११ में फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण सदस्यता हेतु आवेदन तथा भारत का समर्थन-

अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद फिलिस्तीन ने स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण सदस्य के रूप में इसके प्रवेश के लिए एक औपचारिक आवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ में 23, सितम्बर 2011 में प्रस्तुत किया। आवेदन में 4 जून, 1967 की सीमाओं को आधार बनाया गया तथा एरूशलम को राजधानी बताया गया। सदस्यता हेतु अपने अभियान को गति देने हेतु पी०एन०ए० ने दो तरफा काय किए। प्रथम समर्थन प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों में प्रतिनिधि मण्डल भेजना व द्वितीय अन्य प्रभावकारी साधन अपनाना। ज्ञातव्य हो, जनवरी 2011 में भारत दो वर्ष हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। उसे 187 सदस्य राष्ट्रों का समर्थन मिला। अतः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसमें विशेष रूप से फिलिस्तीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्यता का आग्रह। उल्लेखनीय है कि भारत फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता की मांग का खुला समर्थक रहा है तथा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 1988 में ही प्रदान कर चुका है।

भारत के उप-विदेश मंत्री ने 11 अगस्त, 2011 को भारत में फिलिस्तीन के राजदूत से भेंट कर संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन के पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव के समर्थन का आश्वासन दिया जैसा कि फिलिस्तीनी समाचार एजेन्सी वफा (Wafa) ने बताया। भारत का समर्थन प्राप्त करने हेतु डॉ० नबील सहात पूर्व विदेश मंत्री व राष्ट्रपति महमूद अब्बास के विशेष दूत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 23-25 अगस्त, 2011 में भारत में रहा तथा भारतीय नेताओं से भेंट की। भारत के मुख्य सचिव रंजन मथाई ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि “भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन द्वारा पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।”¹⁹ 24 सितम्बर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिलिस्तीन समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसकी सदस्यता की मांग की।²⁰

इजरायल और अमेरिका के विरोध के बावजूद 29 नवम्बर, 2011 को फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए एक ऐतिहासिक मतदान में जबर्दस्त जीत हासिल की है। इससे विश्व निकाय में इसका दर्जा अब गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में होगा। 193 सदस्यीय इकाई में भारत सहित 138 देशों ने फिलिस्तीन का दर्जा बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। जबकि 9 देशों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। प्रस्ताव पर मतदान के मध्य 41 देश अनुपस्थित रहे। अब फिलिस्तीन की पहुँच द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तक हो जायेगी जो नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में लोगों पर अभियोजन चलाता है।

गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का अर्थ-

संयुक्त राष्ट्र में गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रों को संप्रभु देश माना जाता है। इस तरह के देश पूर्ण सदस्य बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आवेदन कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड सन् 1948 से लेकर 2002 तक स्थायी पर्यवेक्षक देश था, लेकिन 2002 में संयुक्त राष्ट्र में उसे पूर्ण सदस्य देश के रूप में मान्यता मिल गयी।

फिलिस्तीन के गैर-सदस्यीय पर्यवेक्षक राष्ट्र बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के देशों की संख्या दो हो गयी है। इस श्रेणी का पहला सदस्य वेटिकन सिटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सफलता के उपरान्त 5 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक सरकारी विज्ञापित जारी कर पी0एन0ए0 से नाम परिवर्तित कर स्टेट आफ पेलस्टीन कर दिया।²¹

विश्व शान्ति के लिए समय की मांग है कि इजरायल तथा फिलिस्तीन अपने समस्त विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा लें। इजरायल फिलिस्तीन को एक स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे तथा उसका समस्त कब्जा किये हुए क्षेत्र को वापस करें। फिलिस्तीन भी अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों पर सार्थक रोक लगाये। भारत भी इसी लक्ष्य का समर्थक रहा है।

संदर्भ-

- 1- एस. गोपाल, (सम्पादित) जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय, खण्ड 8, जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि तथा सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली 1981, पृ0 165-166
- 2- सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय खण्ड 68, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली 1967, पृ0 सं0 153-157
- 3- डॉ0 ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम, फिलिस्तीनी समस्या, भावना प्रकाशन, दिल्ली, 1989, पृ0 48
- 4- विकीपीडिया : इजरायल, फिलिस्तीन व संयुक्त राष्ट्र : समिति में भारत का प्रतिनिधित्व अब्दुल रहमान ने किया।
- 5- के0के0 कौल, एशिया:उद्भव और विकास, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1988, पृ0 997
- 6- ए0के0 पाशा, “इंडिया एण्ड इजरायल ग्रीडिंग कोआपरेशन”, वर्ल्ड फोकस, मासिक पत्रिका, खण्ड-14, अगस्त 1993, दिल्ली, पृ0 19
- 7- वही
- 8- बेसिक फैक्ट्स एबाउट द यूनाईटेड नेशन्स, (यूनाईटेड नेशन्स पब्लिकेशन, 2002), पृ0 95
- 9- द हिन्दू, मद्रास, 13 दिसम्बर, 1948
- 10- डॉ0 ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम, फिलिस्तीनी समस्या, भावना प्रकाशन, दिल्ली, 1989, पृ0 76
- 11- द इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975
- 12- डॉ0 आदित्य कुमार सिंह, “भारत-इजरायल सम्बन्ध”, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध-ग्रन्थ, 2006, अप्रकाशित, पृ0 97
- 13- प्रिया सिंह, फारेन पालिसी मेकिंग इन इजरायल, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2005, पृ0 216
- 14- द इंडियन एक्सप्रेस, लखनऊ, 15 सितम्बर, 2003, पृ0 5
- 15- राष्ट्रीय संहारा, लखनऊ, 17 सितम्बर, 2003, पृ0 227
- 16- मार्क टेसलर, द हिस्ट्री आफ इजरायली-पेलस्टीनियन कनफ्लिक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1994, पृ0 722
- 17- विस्तृत जानकारी हेतु देखें : इस्लामिक विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक 13-16 मार्च, 1989, वेबसाइट पर।
- 18- जान क्यूंगले, पेलस्टाइन एण्ड इजरायल : ए चैलेन्ज टु जस्टिस, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1990, पृ0 231
- 19- द हिन्दू, दिल्ली, 17 सितम्बर, 2011
- 20- वही, 26 सितम्बर, 2011
- 21- पेलेस्टाइन पोस्ट, रमाल्ला, 6 फरवरी, 2013